

UPBH010010442026



न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), बहराइच।
मु०सं०-272/2026

मु०अ०सं०-1121/2022

सरकार -----बनाम-----बिब्बो

धारा-138-1 बी वि०अधि०

थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहराइच।

14-03-2026

पत्रावली राष्ट्रीय अदालत में पेश हुई। अभियुक्ता बिब्बो पत्नी गुलाम अहमद की तरफ से प्रार्थना-पत्र मय शमन शुल्क/राजस्व निर्धारण जमा रसीद प्रस्तुत किया गया है एवं विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता द्वारा समस्त बकाया विभाग में जमा किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्ता द्वारा शमन शुल्क के रूप में 8,000/- रुपए एवं राजस्व निर्धारण धनराशि-14,500/- रुपए विभाग में जमा कर दिया गया है। अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 की उपधारा-3 के तहत अपराध को प्रशमनित मानते हुए अभियुक्ता दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता बिब्बो पत्नी गुलाम अहमद को मुकदमा अपराध संख्या-1121/2022 अन्तर्गत धारा-138-1 बी भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना-एंटी पावर थेफ्ट जिला बहराइच से दोषमुक्त किया जाता है। यदि इस प्रकार अभियुक्ता बिब्बो पत्नी गुलाम अहमद पर विद्युत विभाग का कोई अन्य देय अवशेष हो तो विद्युत विभाग उक्त अभियुक्ता से नियमानुसार वसूलने/कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

J.O. Code-6414